

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ
06.10.15	<p style="text-align: center;">न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा अपराध नियंत्रण वाद सं० 52/2015 सरकार मार्फत पुलिस अधीक्षक, सारण बनाम संजीव कुमार उर्फ पप्पु, थाना-एकमा</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक 5391/चुनाव/गो०, दिनांक 29.09.2015 के द्वारा सक्रिय असामाजिक तत्व संजीव कुमार उर्फ पप्पु, पिता-सवलिया कुंवर, सा०-हरिहर, थाना-बनियापुर, जिला-सारण के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रस्ताव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, छपरा के ज्ञापांक 3127, दिनांक 25.09.15 पर आधारित है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नांकित कांडों को आधार बनाया गया है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बनियापुर थाना कांड संख्या-88/07, दिनांक 05.05.07 धारा-395 भा०द०वि अंतिम प्रतिवेदन संख्या-112/07, दिनांक 30.11.2007 समर्पित। 2. बनियापुर थाना कांड संख्या-95/07, दिनांक 23.07.07, धारा 395/412 भा०द०वि० में प्रतिवेदन संख्या 108/07, दिनांक 20.11.2007 3. खैरा थाना कांड संख्या 38/08, दिनांक 05.05.08 की धारा 392 भा०द०वि में प्रतिवेदन संख्या 48/08, दिनांक 28.08.08 4. मढौरा थाना कांड संख्या 40/08, दिनांक 06.03.08 की धारा 395 भा०द०वि में प्रतिवेदन संख्या 109/08 5. बनियापुर थाना कांड संख्या 75/13, दिनांक 03.04.13 की धारा 395/397 भा०द०वि में प्रतिवेदन संख्या 195/13, दिनांक 05.07.13 6. बनियापुर थाना कांड संख्या 57/08, दिनांक 19.04.08 की धारा 384/307/34 भा०द०वि तथा 27आर्म्स एक्ट में प्रतिवेदन संख्या 168/08, दिनांक 08.10.08 	



इसके अतिरिक्त, आसन्न बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के मद्देनजर आपके द्वारा अपने क्षेत्र में आम जनता में भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आपके विरुद्ध बनियापुर थाना में सनहा संख्या 446/15 एवं सनहा संख्या 461/15 दर्ज किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस न्यायालय के ज्ञापांक 734, दिनांक 01.10.2015 के द्वारा विपक्षी से कारण पृच्छा किया गया, एवं दिनांक 06.10.15 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। सुनवाई की तिथि 06.10.2015 को विपक्षी उपस्थित नहीं हुए।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरांत में पाता हूँ एवं मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि नोटिस प्राप्त करने के बावजूद सुनवाई की तिथि को उपस्थित नहीं होने का स्पष्ट अर्थ है कि संजीव कुमार उर्फ पप्पु, पिता-सवलिया कुंवर, सा0-हरिहर, थाना-बनियापुर, जिला-सारण एक आदतन अपराधी है एवं कानून के द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुपालन में विश्वास नहीं करता है। विपक्षी के विरुद्ध आसन्न बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के मद्देनजर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव के संचालन के लिए धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई आवश्यक है। अतः मैं बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देता हूँ कि इस आदेश की तामिला की तिथि से 12.11.2015 तक विपक्षी को जिला बदर किया जाता है। विपक्षी को निर्देश है कि वे आदेश की प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर जिला विधि शाखा, सारण, छपरा में इस आशय का शपथ पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि जिला बदर की अवधि के दौरान वे विहार के किस जिला के किस थाना के अंतर्गत निवारण करेंगे, ताकि संबंधित जिला दंडाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से विपक्षी के निकटवर्ती थाना में प्रतिदिन दो बार 9 बजे प्रातः एवं सायं 5.00 बजे अपनी हाजिरी अंकित करने संबंधी साप्ताहिक प्रतिवेदन प्राप्त किया जा सके।

विपक्षी को निर्देश है कि वे अविलंब विभाग के द्वारा प्रावधानित संलग्न प्रपत्र में रुपये 20,000(बीस हजार) मात्र का इस आशय से संबंधित बंधपत्र एवं इतनी ही राशि की दो स्वतंत्र प्रतिभूतियां उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे कि आगामी विधान सभा चुनाव 2015 में उनके द्वारा किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। आदेश एवं बंधपत्र की शर्तों की अवहेलना की स्थिति में विपक्षी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

इस जिले में मतदान दिनांक 28.10.2015 को निर्धारित है। विपक्षी को निर्देश है कि मतदान की तिथि को सर्वप्रथम बनियापुर थाना पर प्रातः 7:00 बजे अपनी हाजरी अंकित करेंगे तथा संध्या 6:00 बजे तक थाना पर ही मौजूद रहेंगे। थानाध्यक्ष बनियापुर को निर्देश है कि वे अपनी देख-रेख में विपक्षी को उनसे संबंधित बूथ पर ले जाकर मतदान करवाना सुनिश्चित

करेंगे।

उक्त आदेश की अवधि दिनांक 12.11.2015 को संध्या 6:00 बजे तक रहेगी। इसके पश्चात् यह स्वतः विलोपित समझा जाएगा।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी

सारण, छपरा

ज्ञापांक..... 792 / ब्या 0, दिनांक..... 7/10/15

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संलग्न आदेश का तामिला संबंधित व्यक्ति को तथा संबंधित पदाधिकारियों को कराते हुए तामिला प्रतिवेदन यथाशीघ्र भेजने का कष्ट किया जाए।

प्रतिलिपि:- थानाध्यक्ष, बनियापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संजीव कुमार उर्फ पप्पु, पिता-सवलिया कुंवर, सा0-हरिहर, थाना-बनियापुर, जिला-सारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी

सारण, छपरा

वरीय उप समाहता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

7/10/15